

न्यायालय :- सदस्य, द्वि० अति० मो० दु० दावा अधि० बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय-बैहर  
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

**मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक- 80 / 2017**

CNR No-MP 5005-001866/2017

Filling No- MACC/219/2017

संस्थित दिनांक - 20.10.2015

श्रीमती क्षमा पति जगराम तिवारी उम्र 55 वर्ष  
निवासी वार्ड नं. 08 चालीस मकान बैहर  
थाना, तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - आवेदिका।

- विरुद्ध -

- 1- राजेश उम्र 25 वर्ष पिता बलसंग, उम्र 25 वर्ष  
निवासी डुडवा, परसामउ, थाना गढ़ी तहसील बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2- इरफान अली पिता मकबूल अली  
निवासी बैहर, थाना, तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 3- प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
शाखा कार्यालय खडेलवाल बिल्डिंग प्रथम मंजिल स्टेशन  
रोड़ बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट - - - अनावेदकगण

श्री डी.आर.बिसेन अधिवक्ता वास्ते आवेदिका ।

श्री शंकर कनौजिया अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2

श्री सुभाष तुरकर अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 3

- / अधिनिर्णय / -

(आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को पारित)

1. आवेदिका श्रीमती क्षमा तिवारी द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु पेश आवेदन का निराकरण इस अधिनिर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि मोटरसाईकल क्रमांक एम.पी.50 एम.डी.3409 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 है जो पॉलिसी क्रमांक 321602 / 31 / 14 / 6200007861 से दिनांक 18.12.2014 से दिनांक 17.12.2015 तक की अवधि के लिए बीमित है।

3. आवेदिका ने धारा 166 सपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम के अधीन अनावेदकगण के विरुद्ध इस धारा पर पेश किया है। दिनांक 18.01.2015 को 05:30 बजे साईं मंदिर तिराहा 40 मकान बैहर अंतर्गत पुलिस थाना बैहर में अनावेदक क्रमांक ने मोटरसाईकल क्रमांक एम.पी.50 एम.डी.3409 जिसका पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 है और दुर्घटना दिनांक को पालिसी नम्बर 321602 / 31 / 14 / 6200007861 में दिनांक 18.12.2014 से दिनांक 17.12.2015 के लिए वैध रूप से बीमित थी, को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक आवेदिका को टक्कर मारकर अपंगता कारित की।

4. आवेदिका 55 वर्षीय होकर कृषि कार्य कर 6000/-रुपये मासिक आय अर्जित करती थी। दुर्घटना के कारण वह आय अर्जित करने में असमर्थ हो गई। आवेदिका को उपचार में 3,50,000/-रुपये व्यय करने पड़े तथा भविष्य में भी व्यय करने पड़ेंगे। आवेदिका को भविष्य की आय में क्षति 4,00,000/-रुपये हुई है। मानसिक व शारीरिक क्लेश 1,00,000/- रुपये और भविष्य के इलाज के लिए 1,00,000/-रुपये कुल 9,50,000/- तथा दुर्घटना से अदायगी तक 9 प्रतिशत ब्याज एवं अन्य अनुतोष दिलाये जाने की याचना की है।

5. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने संयुक्त उत्तर पेश कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर मूल आवेदन पत्र में किये गये समस्त तथ्यात्मक अभिवचनों को पदवार इंकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने कोई घटना कारित नहीं की। अनावेदक क्रमांक 1

अनुज्ञप्तिधारी चालक है, अवैध लायसेंस है। अनावेदक क्रमांक 2 वाहन क्रमांक एम.पी.50 एम.डी.3409 का पंजीकृत स्वामी है। अनावेदक क्रमांक 1 सावधानी पूर्वक वाहन चला रहा था। साईं मंदिर तिराहा के पास आवेदिका स्वयं की स्कूटी से पहुंची आवेदिका ने अपने वाहन को ब्रेक मारा और वाहन असंतुलित होकर टकरा गया, शपथ पत्र के दौरान आवेदिका पहले ही रोड़ पर गिर चुकी थी उसे गिरने से चोट आई है यदि घटना होना पाई जाती है तो उसके लिए अनावेदक क्रमांक 3 क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति राशि बड़ा-चढ़ाकर असत्य आधारों में पेश की है, निरस्त किये जाने की याचना की है।

6. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने पृथक उत्तर पेश किया है। आवेदन की कंडिका क्रमांक 15, 16, 17 के संबंध में जबाब देने की आवश्यकता न होना लेख किया है आवेदन पत्र के शेष अभिकथनों को पदवार इंकार किया है। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकल चलाकर ठोस मारना इंकार किया है, आवेदिका की आय 6000/-रूपये मासिक होना इंकार किया है, स्थाई अपंगता कारित होना इंकार किया है, दावा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाना लेख किया है। धारा 170 मोटरयान अधिनियम के अधीन बचाव की स्वतंत्रता चाही गई है। धारा 147 एवं 149 मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों को उल्लिखित किये जाने से बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्ति दिये जाने का लेख कर अनावेदक क्रमांक 3 के विरुद्ध बीमा शर्तों का उल्लंघन होने के कारण मामला निरस्त कर क्षतिपूर्ति से मुक्त किये जाने की याचना की है।

आवेदन पत्र के निराकरण हेतु निम्न वादप्रश्न निर्मित किए गए हैं :-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 18.01.2017 के 05:30 बजे पुलिस थाना बैहर जिला बालाघाट क्षेत्रान्तर्गत साईं मंदिर तिराहा चालीस मकान बैहर में अना. क्र. 1 ने	प्रमाणित

	अना. कं. 2 के स्वामित्व के वाहन यामहा मोटर साईकल क्रमांक एम.पी.50 एम.डी.3409 का उतावलेपन से चालन कर श्रीमती प्रीति मिश्रा द्वारा चलाई जा रही स्कूटी में टक्कर मार दी ?	
2.	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप उक्त स्कूटी में सवार आवेदिका श्रीमती क्षमा तिवारी को स्थाई निःशक्तता कारित हुई ?	प्रमाणित नहीं
3.	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के वक्त अना. कं.1 या 2 द्वारा बीमा पालिसी की शर्तों को भंग किया गया ?	प्रमाणित नहीं
4.	क्या आवेदिका अनावेदकगण से संयुक्ततः तथा पृथक्तः दुर्घटना क्षतिपूर्ति 9,50,000/- (नौ लाख पचास हजार रुपये) प्राप्त करने की अधिकारी है ?	कंडिका 16 के अनुसार
5.	अनुतोष एवं वादव्यय ?	कंडिका 17-ए के अनुसार

**वादप्रश्न क्रमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-**

7. आवेदिका साक्षी क्रमांक 1 श्रीमती क्षमा तिवारी आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश कर पद क्रमांक 3 में साक्षी घटना दिनांक 18.01.2015 को समय 05:30 बजे साक्षी उसकी पुत्री की स्कूटी में पीछे बैठकर साईं मंदिर से पूजा कर अपने घर लौट रही थी जैसे ही साईं तिराहा पहुंची तो कोहफा तरफ से एक मोटरसाईकल चालक ने तेज गति लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से स्कूटी को ठोकर मार दी जिससे साक्षी नीचे गिर गई तथा साक्षी के साक्षी के बांये पैर में गंभीर चोटें आई एवं शरीर के अन्य भागों में भी चोट आई, साक्षी को उठाकर घरेलू उपचार हुआ। साक्षी ने पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बैहर वाहन क्रमांक एम.पी.50 एम.डी.3409 के वाहन चालक के वाहन चालक के विरुद्ध

लेख कराने पर अपराध क्रमांक 8/15 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 का दर्ज किया। वाहन स्वामी ने न्यायालय में आवेदन पेश कर वाहन सुपुर्दनामे पर प्राप्त किया, मामला विचाराधीन है। पद क्रमांक 5 में कथन किया है कि उसे दुर्घटना में स्थाई अपंगता आई है।

8. इस साक्षी ने अधिकरण के समक्ष शपथ पर पद क्रमांक 8 में कथन किया है कि क्षतिपूर्ति आवेदन के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.ए.1, अपराध विवरण का फार्म प्र.ए.2, सम्पत्ति जप्ती पत्र प्र.ए.3, सजीवनी अस्पताल की इंडोर केस शीट प्र.ए.4, सुपुर्दनामा आदेश प्र.ए.5, अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए.6, इलाज के बिल प्र.ए.7 लगायत प्र.ए.36 है। प्रतिपरीक्षण पद क्रमांक 9 में साक्षी ने इंकार किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा दुर्घटना कारित नहीं की गई है। अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि बिलासपुर के डॉक्टर द्वारा किसी प्रकार से स्थाई अपंगता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है।

9. श्रीमती प्रीति मिश्रा आवेदिका साक्षी ने अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश कर साक्ष्य दी है कि वह उसकी माता श्रीमती क्षमा तिवारी के साथ दिनांक 18.01.2015 को शाम 05:30 बजे साईं मंदिर से पूजा पाठ करके स्कूटी से घर वापस आ रही थी, साक्षी अपनी मां के साथ साईं मंदिर तिराहा, बैहर कोहका रोड़ पहुंची तब भी कोहका तरफ से एक मोटरसाईकल चालक तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से अपनी मोटरसाईकल चलाकर साक्षी की स्कूटी को ठोस मार दी जिससे साक्षी और उसकी मां गिर गई, साक्षी की मां के पैर में चोटें आईं। मोटरसाईकल चालक को वहां पर उपस्थित लोगों ने पकड़ लिया था और नाम पूछा तो राजेश बंजारा बताया था। मोटरसाईकल के नाम पर प्लेट पढ़ी जिसका नम्बर एम.पी.50एम.डी.3409 लिखा था। घर पर प्राथमिक उपचार कराने के बाद बिलासपुर सजीवनी हॉस्पिटल ईलाज हेतु ले गये थे। साक्षी ने



चालक राजेश बंजारा के खिलाफ बैहर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में इंकार किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 की लापरवाही से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई थी, यह भी इंकार किया है कि साक्षी की स्वयं की लापरवाही से स्कूटी चलाई जा रही थी।

10. उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से पेश लिखित तर्क का अध्ययन किया गया। उपरोक्त मौखिक साक्ष्य और प्र.ए.1, प्रथमसूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.ए.2, अपराध विवरण फार्म की प्रतिलिपि प्र.ए.3, संपत्ति जप्तीपत्रक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.ए.5, सुपुर्दनामा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि और प्र.ए.6 अंतिम प्रतिवेदन प्रमाणित प्रतिलिपि के अध्ययन से **वादप्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित** पाया जाता है किन्तु आवेदिका क्षमा तिवारी को दुर्घटना में स्थायी अपंगता आने के संबंध में अपंगता प्रमाण पत्र पेश नहीं है इसलिए स्थायी साक्षी को निःशक्तता कारित होना अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है, **वादप्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित नहीं है।**

#### वादप्रश्न क्रमांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

11. वादप्रश्न क्रमांक 3 को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी पर है। बीमा कंपनी ने तत्संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। साक्ष्य के अभाव में वाद प्रश्न क्रमांक 3 **प्रमाणित नहीं है।**

#### वादप्रश्न क्रमांक 4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

12. आवेदिका साक्षी क्रमांक 1 श्रीमती क्षमा तिवारी ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 6 में साक्ष्य दी है कि वह 55 वर्षीय हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क की महिला थी तथा दुर्घटना के पूर्व कृषि मजदूरी का कार्य करती थी जिससे 6,000/—रुपये प्रतिमाह आय अर्जित कर स्वयं का भरण-पोषण करती थी। आवेदिका साक्षी क्रमांक 2 श्रीमति प्रीति मिश्रा ने पद

क्रमांक 3 में कथन किया है कि आहत घटना के पूर्व हष्ट पुष्ट, स्वस्थ मस्तिष्क की महिला थी। कृषि कार्य कर 6,000/- रुपये आय अर्जित करती थी। आय अर्जन के संबंध में राजस्व अधिकारी का कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। मूल आवेदन के शीर्ष खंड में आवेदिका का पति जीवित होना लेख किया है, छायाचित्र में मांग भरी हुई है, माथे पर कुमकुम का टीका लगा हुआ है, गले में सुहागन द्वारा पहने जाने वाले काले कोत की माला और सोने की चैन डली हुई है। तर्कों के अनुसार आवेदिका के नाम कृषि भूमि होने के कोई प्रमाण पत्र नहीं है, आवेदिका पति से पृथक रहती थी, का अभिकथन नहीं है, साक्ष्य नहीं है इसलिए उसकी कृषि से या कृषि मजदूरी से 6,000/-रुपये मासिक आय होना प्रमाणित नहीं है किन्तु गृहणी होने पर भी उसके व्यय का मूल्यांकन 3,000/-रुपये मासिक का किया जाता है।

13. साक्षी के अपंग होने, निःशक्त होने के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। निःशक्तता कितने प्रतिशत है, का कोई प्रमाण नहीं है इसलिए उसकी आय में क्षति होना अभिलेख पर प्रमाणित नहीं होता है इसलिए आवेदिका की भविष्य की आय की क्षति के मद में और 4,00,000/-अथवा उसका कोई अंश भाग होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

14. आवेदिका ने मानसिक और शारीरिक कष्ट के मद में 1,00,000/- रुपये की मांग की है। प्र.ए.7 लगायत प्र.ए.36 के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आवेदिका बिलासपुर में दिनांक 19.01.2015 से दिनांक 22.01.2015 तक भर्ती रही है। प्र.ए. 8 के अनुसार ऑपरेशन हुआ है इसलिए ओ.टी. चार्ज 3,500/- रुपये दर्शाया गया है, रूम चार्ज, नर्सिंग चार्ज, कंसल्टेशन चार्ज, ऑपरेशन चार्ज, ऐनिस्थिसिया का चार्ज, चिकित्सक का चार्ज भी अन्य मद में 30,900/- रुपये व्यय होना लेख है। इस प्रकार आवेदिका को शारीरिक व मानसिक कष्ट सहन करना पड़ा है तथा इस मद में आवेदिका के लिए 20,000/- रुपए निर्धारित किया जाता है।

15. प्र.ए. 7 लगायत प्र.ए. 36 का कुल योग 1,25,840/-रुपये होने से उपचार व्यय के मद में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर पाने की पात्र है।

16. भविष्य के ईलाज के बाबत किसी चिकित्सक का प्रमाण पत्र नहीं है। भविष्य में ईलाज हेतु आवेदिका को कौन सा कष्ट आज है अथवा कौन सा उपचार चल रहा है, बाबत साक्ष्य का अभाव है इसलिए भविष्य के उपचार के मद में वह 1,00,000/-रुपये अथवा उसका कोई अंश भाग पाने की अधिकारी नहीं है। उभयपक्ष के तर्कों को विचार में लेने के पश्चात् आवेदिका को कुल  $(125840+20000)=145840/-$ रुपये की क्षति होना पाते हुए उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 4 निराकृत किया जाता है।

**वादप्रश्न क्रमांक 5 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-**

17. वादप्रश्न क्रमांक 5 के निराकरण हेतु अभिलेख पर आयी संपूर्ण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

{A} आवेदिका क्षमा तिवारी को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल 1,45,840/-रुपए {एक लाख पैतालिस हजार आठ सौ चालीस रूपए} अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने की अधिकारी है।

{B} आवेदिका क्षमा तिवारी को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल 1,45,840/-रुपए {एक लाख आठ सौ चालीस रूपए} तथा ब्याज की राशि उसके बैंक खाते में ई-भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

{C} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{D} अधिवक्ता शुल्क 1100/-रुपए देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / -

मेरे डिक्टेसन पर टंकित  
किया गया।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

Shiyam

द्वि.अति.मो.दुर्घ.दावा अधि. बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि.अति.मो.दुर्घ.दावा अधि. बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर



—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अना. क. 1, 2	अना.क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20.00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	10.00	-	-
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	10.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100.00	1100.00	1100.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	
	योग —	1140.00	1110.00	1110.00

सही / —

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

True copy for Non App.No. 3